बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

—: अधिसूचना :—

सं0सं0—04 / HFA-18/16 23 दिनांक— 09/01/17

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक—17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रारंभ की गई। यह योजना बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है।

योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका—2.1 में उल्लेख है कि "जनगणना—2011 के अनुसार सभी सांविधिक एवं बाद में नोटिफाई किये गये कस्बे मिशन में शामिल लेने के पात्र होंगे। नोटः राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक कस्बा जो संबंधित नगर क्षेत्र को घेरता है, के संबंध में यथा अधिसूचित नियोजित क्षेत्र को इस मिशन में शामिल करने की छूट होगी।"

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0—337 / 338 दिनांक—13.08.14 द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा—9 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के नियम—9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल—1167.04 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को "पटना आयोजना क्षेत्र" घोषित किया गया है। इस पटना आयोजना क्षेत्र में छः शहरी प्रशासनिक इकाईयों के अतिरिक्त 575 ग्रामीण प्रशासनिक इकाईयों का क्षेत्र शामिल है। जिसका विवरण "पटना आयोजना क्षेत्र" के अधिसूचना के अनुसूची—1 पर अंकित है।

अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में "पटना आयोजना क्षेत्र" के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में "प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी)" लागू करने का निर्णय एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। भविष्य में सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित "पटना आयोजना क्षेत्र" में किसी भी तरह के उपांतरण एवं फेरबदल किये जाने की स्थिति में यह अधिसूचना अधिसूचित क्षेत्र मे स्वतः लागू समझा जायेगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0 / —
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04 / HFA-18/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना / अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–04 / HFA-18/16 23 पटना, दिनांक– 09/01/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, बुडा / निदेशक, बुडको / सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/2017
प्रधान सचिव।